THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF THE GOVERNMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH DAMEDIATELY. चितान नी घह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना गिलती हैं 'बिसमें पासपोर्ट लीटाने की यांग भी शामिल हैं तो उसका तुर्तेत अनुपालन किया जाण । LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NALRESY PASSPORT AUTHORITY IN YNDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST HUDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED. THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE-HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY. Indian citizens resident abroad are advised to register themselves at the nearest indian missionipost. पासपोर्ट गुम हो जाने, जोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर बसकी सुजना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही हुप्लीकेट पासपोर्ट जारी विक्या जाएगा। यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कन्त्रे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरवदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए। 弘 पंजीकरण विदेशों में खने वाले शास्तीय नागरिकों को सलाइ दी जाती है कि वे निकटतम शास्तीय मिशन/ में अपना पंजीकरण करवीएं। REGISTRATION पिता / कानूनी अभिभावक का जाम / Name of Father / Legal Guardian KUNHIRAMAN भारत का भाग / Name of Mother CHEEROOTTY पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse THARA पता / Address KALLARA HOUSE KADAVATHUR POST KANNUR DIST.KERALA-670676 K0ZB05990109